न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बांस जिंला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

दावा नं.	प्रवेश तिथि·	निर्णय तिथि
317 / 12	26.12.12	25.8.21

उनवान

1.प्यारीबाई बेवा खेडुमल (मृतक)
2.सुन्दरलाल पुत्र खेडुमल
3.प्रीतमदास–मृतक
3 / 1–चन्द्रा देवी पत्नी प्रीतमदास
3 / 2–नरेश पुत्र प्रीतमदास
3 / 3–संदीप पुत्र प्रीतमदास जाति सिंधी निवासी किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान
3 / 4–कविता उर्फ भावना पुत्री प्रीतमदास पत्नी मोहनलाल जाति सिन्धी निवासी हाल रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
3 / 5–पायल पुत्री प्रीतमदास पत्नी हीरालाल जाति सिन्धी निवासी हाल नन्दूरबार महाराष्ट
4.दशरथ उर्फ जयराम
5.राजकुमार पिता श्री खोडूमल (सिन्धी)
6.दयादेवी बेवा वीरूमल
7.रीता पुत्री वीरूमल
8.सतीश कुमार
9.गुलशन कुमार– मृतक
9 / 1–प्रिया देवी पत्नि गुलशन कूमार जाति सिन्धी निवासी किशनगढबास
9 / 2–शलखा बतरा पुत्री गुलशन कुमार.पत्नी गौरव जाति सिन्धी निवासी नरेला दिल्ली
9 / 3–नेहा पुत्र गुलशन कुमार
9 / 4–ज्योति पुत्री गुलशन कुमार
9 / 5–सिमरन पुत्री गुलशन कुमार नाबालिक जाति सिन्धी निवासी किशनगढबास जिला अलवर
9.मुकेश कुमार पिता बीरूमल खत्री (सिन्धी)
10.श्रीचन्द पुत्र गोपाल दास
12.सहित बाई बेवा रमेश चन्द खुद
13.शालू पुत्री रमेशचन्द
14.दिप्ती पुत्री रमेश चन्द नाबालिगान जये नेवस्ट फेडवली सरपरस्त माता खुद सहितबाई बेवा रमेश चन्द जाति सिन्धी निवासीयान किशनगढबास तहसील किशनगढबास।
15–शशिबाई पुत्री खेडुमल खत्री हाल निवासी शिवाजी पार्क अलवर।

:–वादीगण:–

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़.बास (अलवर)

Scanned with CamScanner

:—बनाम:—

1.हरीराम पुत्र गोपीराम —मृतक

1/1—चोखराम पुत्र हरिराम

1/2—सुरेश पुत्र हरिराम

1/3—मनोज पुत्र हरिराम

1/4—सोनु पुत्र हरिराम जाति माली निवासी गंज तहसील किशनगढबास जिला अलवर

2.जगदीश पुत्र रूपनारायण पोत्र गोपीरामं

3.जसवन्त पुत्र हरबक्स

4.सतीश कुमार पुत्र हरबक्स पोत्र गोपीराम कोम मालियान निवासी गंज तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

5.राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार (लेण्ड होल्डर)किशनगढबास जिला अलवर

:—प्रतिवादीगण:—

(दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट).

उपस्थिति:—1.श्री भुवनेश तिवाडी वकील वादी की ओर से।

2.मुकेश सैनी वकील प्रतिवादी की ओर से।

:—निर्णय:—

25.8.251

पत्रावली पेश हुई। दावे में सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:— वादी ने वाद पेश किया कि आ0ख0न0 295/0.24 है0 चाही जाद अलिफ मिन वादीगण कि तन्हा अलोट शुद्वा खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है जिसमें 10/19 हिस्सा वादीगण 1लगा0 10 कर वो 9/19 हिस्सा वादीगण सं0 11 लगा0 15 का सम्भाग का है जो आराजी विवादित कहलायेगी । खातेदार रमेशचन्द पुत्र गोपालमल कौम सिन्धी(खत्री) फौत हो चुका है जिसके कि विधिक वारिसान उसकी बैवा मु0सहितबाई वो पुत्रीयान शालु, दिप्ती है । दीगर कोई वारिसान नही है। खातेदार वीरूमल का स्वर्गवास दिनांक 3.7.2010 को हो गया है। जिसके विधिक वारिसान 6लगा0 10 है। उपरोक्त आराजी विवादित से प्रतिवादीण स0 1 लगा0 4 या उनके दादा पिता गोपी का कोई संबंध सरोकार वास्ता नही रहा , ना कब्जा रहा, बल्कि प्रति0 1लगा0 4 के पिता वो दादा गोपी पुत्र चुन्ना माली ने आराजी उक्त को संवत 2030 के लगभग एक साल बटाई चारा पर काश्त किया था और अवधि पूर्ण होने पर आराजी को छोड दिया, कब्जा आराजी मिन वादीगण के पिताजी गोपालमल वा खेडूमल को सोप दिया था। जो उक्त आराजी के अलोटी थे। जिनके मरने पर मिन वादीगण वो दखील चले आ रहे है। आराजी विवादित की कीमत, कर्जा, तमाम वादीगण के पिताओ गोपालमल वो खेडूमल द्वारा जमा कोष कराकर सन्द पटटा जारी करायें हुये है। खातेदारी का अंकन हो रहा है। किन्तु मुतनाजा आराजी पर भू—प्रबंध विभाग के कर्मचारियो वो अधिकारीयो ने खिलाफ मौका कब्जा के आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण 1लागा04 के पिता वो दादा गोपी पुत्र चुन्ना माली के नाम का अंकन राजस्व पत्रादि में शिकर्मी साल 15 गलत प्रकार से दर्ज कर दिया, जिस इन्द्राज की ताहाल जमाबन्दीयों में पुर्नावृति होती आ रही हैं। जो इन्द्राज हजफ होने योग्य है। काबिल दुरूस्ती है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण निम्न डिकी फरमाया जावे:—

(अ)—डिकी इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इंद्राज पारित की जाकर करार दिया जावें कि वादीगण वो उनके पिता मृतक खैडूमल , मृतक गौपालमल आराजी मुतनाजा के अलौटी खातेदारान काबिज वो काश्त रहे है एवं आज भी मौके पर वादीगण हिस्सानुसार कब्जा है। प्रतिवादीगण सं0 1लगा0 4 के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned with CamScanner

पिता वो दादा मृतक गोपी पुत्र चुन्ना माली के नाम का जो इंद्राज को कलमजन कराया जाकर वादीगण को उपरोक्तानुसार खातेदारान काबिज काश्तकारान घोषित किया जाकर डिक्री दुरूस्ती इंद्राज पारित की जावें। एवं उप कृषक साल 15 कलमजन किया जावे।

(ब)–दीगर न्यायोचित दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझे अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीण को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुयें जवाब दावा पेश किया.। जवाब दावा उपरान्त प्रतिवादी द्वारा काउंटर क्लेम पेश किया की मिन प्रतिवादी की ओर से पेश इकबाल जवाब दावा की जांच करायी जाकर दोषी व्यक्तियो के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही की जावे । जवाब प्रार्थना पत्र पत्रावली में अगामी तारीख पेशी नियत की गई । जवाब प्राप्त नही हुआ चुकी चालू प्रक्रिया में उभय पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो गया । राजीनामे में अंकन किया है कि उक्त मुकदमा में हम पक्षकारान का राजीनामा हो गया है जो इस प्रकार है:–
यह है कि आराजी ख0न0 295/0.24 हे0 चाही अलिफ वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास हम वादीगण की तन्हा अलोटशुद्वा खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है, जिसमें से 10/19 हिस्सा वादीगण 1 लगा010 की वो 9/19 वो 3 हिस्सा वादीगण संख्या 11 लगा0 15 की सम्मान हिस्सा है उक्त आराजी से हम प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गोपी पुत्र चुन्ना जातिमाली निवासी गंज का उक्त आराजी ख0न0 295 रकबा 0.24 हे0 से कोई लेना देना नही है उक्त आराजी ख0न0 295 रकबा 0.24 हे0 पर वादीगण की ही कब्जा .काश्त है उक्त आराजी वादीगण के पिताओ गोपालमल वा खेडुमल को अलोट हुई थी। बाद फोतगी गोपालमल वा खेडुमल के उक्त आराजी ख0न0 295 रकबा 0.24 हे0 के अब हम वादीगण की कब्जे काश्त खातेदार है। जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 के पिता वो दादा मृतक गोपीराम पुत्र चुन्नाराम जाति माली के नाम जो इन्द्राजशिकमी साल 15 का दर्ज हो रहा है वो खिलाफ कानून वो खिलाफ मोका है उक्त गलत इन्द्राज शिकमी साल 15 को कलमजन कर दिया जावे तो हम प्रतिवादीणग को कोई ऐतराज नही है। अब उक्त आराजी से हम प्रतिवादीण व प्रतिवादीण के दादा गोपाराम पुत्र चुन्नाराम जाति माली का कोई लेना देना नही रहा है। आराजी ख0न0 295 रकबा 0.24 हे0 वाके ग्राम किशनगढबास का एक मुश्त समस्त बीस लाख रूपये हम वादीगण से प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान चोखराम,सुरेश, मनोज,सोनु पुत्रान हरिराम ने वो प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 स्वयं ने प्राप्त कर ली है कोई रकम बकाया नही है। उक्त वाद का निस्तारण बरूये राजीनामा वाद डिक्री फरमाया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई वाद में अंकित राजीनामा के तथ्यो को दोहराते हुये। उक्त वाद में पक्षकारान का आपसी राजीनामा हो गया है जिसके आधार परविवादित आराजी पर मृतक गोपीराम पुत्र चुन्नाराम जाति माली के नाम जो इन्द्राज शिकमी साल 15 हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को उपरोक्तानुसार खातेदारान काबिज काश्तकारान घोषित किया जाकर डिक्री दुरूस्ती इंद्राज पारित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned with CamScanner

अतः आदेश है कि:—

वाद वादीगण बहक विरूद्व प्रतिवादीगण बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादीगंण को आराजी ख0 न0 295 रकबा 0.24हे0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा जो अमल प्रतिवादी सं0 1लगा0 4 के पिता वो दादा मृतक गोपीराम पुत्र चुन्नाराम जाति माली के नाम का जो इन्द्राज शिकमी साल 15 हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही वाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगें पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार ,होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय अलग से टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned with CamScanner